

फर्द अहकाम

बोदू बनाम तहसीलदार पावटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या ....०९९..../2025 प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी

जीसीएमएस संख्या: 2025/१३३

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	26 <sup>06</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्थरगढ़ी आज आदेशों के द्वारा                      आर्जि कील उपलब्ध। उत्कीर्ण                      पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाता है कि वह                      निर्णय पत्रों के लिए वापस जाकर शामिल                      प्रमाणों को गणना करवाएगी है।                      प्रमाणों के साथ सुमाए हेबट के अन्त                      से कम से कम शामिल प्रमाण है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
 पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)  
पीठासीन अधिकारी  
प्रार्थना पत्र संख्या :- श्री कपिल कुमार (RAS)  
:- 09/2025  
उनवान दायर दि. 05.06.2025

बोदू पुत्र उमराव जाति यादव निवासी ढाणी खजूरवाली तन पण्डितपुरा  
तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़।

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान।

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट**

निर्णय

दिनांक: 26.06.2025

1. प्रार्थी के ओर से जरिये अधिवक्ता श्री नरेश कुमार यादव के द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 516/3/0.11, 517/3/0.0150 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 516/3/0.11, 517/3/0.0150 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पण्डितपुरा तहसील पावटा के सम्पूर्ण हिस्से के प्रार्थी मुताबिक जमाबन्दी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना-पत्र है।

2. प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 516/3/0.11, 517/3/0.0150 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान से लगती अन्य भूमि के खातेदार काश्तकार आये दिन ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि की डोल वगैरह तोड़ देते हैं, फसल नष्ट कर देते हैं तथा प्रार्थी की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने पर उतारु है। प्रार्थी द्वारा समझाने पर नहीं मान रहे हैं, मरनें-मारनें पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 516/3/0.11, 517/3/0.0150 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है।

3. प्रार्थी ने पूर्व में अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 13.05.2025 को करवाया जा चुका है। प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजी भूमि की पत्थरगढ़ी करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार पावटा को कहा तो तहसीलदार पावटा ने सक्षम न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश करने हेतु कहा। इसलिए प्रार्थना-पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना -पत्र अन्दर मियाद निर्धारित न्यायशुल्क पर पेश है। आराजी विवादास्पद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना-पत्र सुनने व तैय करने का अधिकार है।



उपखण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

4. अतः प्रार्थना-पत्र गय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 516/3/0.11, 517/3/0.0150 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओ का निश्चयीकरण विधि की व्यवस्था में निर्धारित प्रकिया से कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि अपनी भूमि का सही रूप से उपयोग कर सकें।

5. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पैरोकार से जवाब लिया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को दिनांक 13.05.2025 के अनुसार हुए सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी के आदेश पारित करने बाबत निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नगत आराजी का दिनांक 13.05.2025 को सीमाज्ञान किया गया है तथा प्रार्थी अपने सुखाधिकार एवं भूमि की रक्षा व सीव डोल की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाना चाहता है।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नम्बर 516/3/0.11, 517/3/0.0150 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान का दिनांक 13.05.2025 को हुये सीमाज्ञान के मुताबिक यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार फीस जमा करवाकर पत्थरगढी करवावे। तथा पत्थरगढी के आदेश के माध्यम से किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तदानुसार आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(कपिल कुमार, RAS)  
उपखण्डअधिकारी  
पावटा(कोटपूतली-बहरोड)

